

रिपोर्ट परामर्शी एम्प्लॉय / आर्गुएम्प्लॉय वांगलाल / रीटानाड 260/2021

महोदयगणनी निर्दिष्ट है कि शुभ मीन की जमीन खाता व 2 मी प्रार्थी की दादी सरवती (वैठ) का नाम संश्लेषण से राज्यवती दर्ज हो गया है। सरवती के नाम पर सरवती कला अनामिक रिजिस्ट्रेशन किया गया है।

कार्यालय तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को भिजित कर विवेचना है कि आदेशनुसार मूल में वाज्यतानुसार अधिकार का नाम सुश्लेषण किया जाय। सुश्लेषण से उचित नहीं है। आदेश का नाम सरवती कला अनामिक रिजिस्ट्रेशन की जाती है।

(Signature)
तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं वरिष्ठ महाक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)
- आदेश -

दिनांक - 28/10/2021

प्रार्थी के खाता दुर्गरती प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपखण्ड दरतावेसी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0310) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 130 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0310) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	दर्जनाम प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	20757	2075	2	सरवती पत्नी शमशेर	सरवती पत्नी शमशेर

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन नुवत होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जाये।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी (झुझुनू)
दिनांक :- 28/10/2021

क्रमांक - राजस्व / 2020 / 467-68

प्रतिलिपि :-

- 1 तहसीलदार (भू0310) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
- 2 प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी (झुझुनू)

